

KYC & PF / Pension Withdrawal Procedure

UAN Portal खोलें।

UAN Activate करें।

अगर पहले से ही Activated है तो...

अपना Password Change करें और Login करें।

अपनी Service History चेक करें।

TW1 और सभी कंपनी में एक ही UAN नंबर रहा है।

Service History में सिर्फ मारुती की डिटेल्स ही दिख रही हैं।

सभी कंपनी की Date of Exit (DOE) **UPDATE** होनी चाहिए।

Date Of EXIT (DOE) चेक करें।

सभी कंपनी का PF/ Pension का पैसा आखरी कंपनी में ट्रांसफर करें।

अपनी आधार, पैन और बैंक details Update करके **UAN Portal** में KYC कम्पलीट करें।

TW1 और सभी कंपनी का PF / Pension Amount एक कंपनी में ट्रांसफर करने के बाद PF/Pension (Form 19 & 10 C) Online Claim करके निकाल सकते हैं।

“Google Chrome” खोलें और “ Member Home “ Search करें।

या open this link : <https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/>

KYC & PF / Pension Withdrawal Procedure

